प्रेस नोट दिनांक 03.06.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दहेज हत्या के प्रकरण से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त (पति) गिरफ्तार

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत अंजनी पुलिया के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 28.02.2025 को वादी ने अपनी पुत्री की शादी सूरज पटेल पुत्र राम सेवक पटेल निवासी खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ के साथ की थी। वादी द्वारा आरोप लगाया कि मेरी पुत्री की उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज उत्पीड़न कर हत्या कर दी गई। मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं 142/2025 धारा 85 / 80 बीएनएस व डीपी एक्ट बनाम 04 नामजद ससुरालीजन के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज कुमार, का0 आशुतोष कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं 142 / 2025 धारा 85 / 80 बीएनएस व डीपी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त सूरज पटेल पुत्र स्व0 रामसेवक निवासी खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कुण्डा के अंजनी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.सूरज पटेल पुत्र स्व0 रामसेवक निवासी खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 मनोज कुमार, का0 आशुतोष कुमार यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, धमकी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत देउम चौराहे के पास अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सांगीपुर प्रभारी श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 सचिन पटेल मय हमराह का0 विष्णु शर्मा, का0 संदीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर में पंजीकृत मु0अ0स0-179/2020 धारा 376डी /506 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त, पवन यादव पुत्र भगौती प्रसाद यादव निवासी ग्राम देउम पूरब थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत देउम चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- पवन यादव पुत्र भगौती प्रसाद यादव निवासी ग्राम देउम पूरब थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सचिन पटेल मय हमराह का0 विष्णु शर्मा, का0 संदीप कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी-

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा गोवध अधिनियम, मारपीट, गाली गलौज, धमकी, से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत मादामई तिराहा के पास से किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.012.2022 को वादी अपने भाई के साथ लकड़ी काटने का कार्य कर ग्राम तिरछा से वापस लौट रहा था। की रात्रि में पन्ना नगर के पास एक्सप्रेस-वे के किनारे एक खड़ा ट्रक व उसके आसपास 6-7 लोग तथा कुछ जानवर (गाय व बछड़े) दिखाई दिए। वादी के भाई द्वारा ट्रक के संदिग्ध खड़े होने की बात कहने पर उक्त लोग पास आकर गाली-गलौज व मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर वादी व उसके भाई को वहीं बैठाकर जानवरों को ट्रक में लादा गया। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज पर मु0अ0सं0 286/22 धारा 323/504/506 IPC व 5क / 8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम 04 नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा

गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री प्रभाशंकर सचान मय हमराह का राहुल कुमार, का0 रामवीर सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज के मु0अ0सं0 286/22 धारा 323/504/506 IPC व 5क / 8 गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित 01 अभियुक्त अमीर पुत्र मुन्सी निवासी ग्राम बेलहा मदनगढ़ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत मादामई तिराहा के पास से किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अमीर पुत्र मुन्सी निवासी ग्राम बेलहा मदनगढ़ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री प्रभाशंकर सचान मय हमराह का राहुल कुमार, का0 रामवीर सिंह थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ

बीट मुख्य आरक्षी अतुल त्रिपाठी की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थाना बाघराय के बीट मुख्य आरक्षी अतुल त्रिपाठी ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

बीट मुख्य आरक्षी अतुल त्रिपाठी ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना बाघराय के बीट मुख्य आरक्षी अतुल त्रिपाठी को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना बाघराय पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत मकूनी फाटक शकरदहा के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, व गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर मुख्य आरक्षी अतुल त्रिपाठी के सहयोग से थाना बाघराय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 96/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना बाघराय, प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त, राजेश कुमार पुत्र राम आसरे उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम बरबसपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़, को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत मकूनी फाटक शकरदहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- राजेश कुमार पुत्र राम आसरे निवासी ग्राम बरबसपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

01-अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र राम आसरे निवासी ग्राम बरबसपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 261/18 धारा 308/323/324/325/352/504/506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 266/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

3. मु0अ0सं0 293/22 धारा 411/419/420/467/468 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्ता को उसके घर से किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री जयचन्द भारती के नेतृत्व में उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह म0उ0नि0 प्रतिभा, म0का0 मीना यादव, म0का0 भारती परमार, का0 अमित कुमार शुक्ला, हो0गा0 तारकेश्वर प्रसाद तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0स0- 270/23 धारा 120/420/419/467/468/471 भादवि से संबंधित वांछित 01 अभियुक्ता को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- 01 अभियुक्ता।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह म0उ0नि0 प्रतिभा, म0का0 मीना यादव, म0का0 भारती परमार, का0 अमित कुमार शुक्ला, हो0गा0 तारकेश्वर प्रसाद तिवारी थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।